पत्रांक–5/बी02–74/2015................................

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक ..../

विषय :– **योजना अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष–2015–16 में "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के तहत वर्ग XI एवं XII की सामान्य कोटि की बालिकाओं के लिए रू0 **2,34,45,000/–(दो करोड़ चौत्तीस लाख पैतालीस हजार)** मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–107–छात्रवृत्तियाँ, उप शीर्ष–0104–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड संख्या–पी 2202031070104 में वर्ग XI एवं XII में नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्राओं को, विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा में रू0 **2,34,45,000/–(दो करोड़ चौत्तीस लाख पैतालीस हजार)** मात्र वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपको संलग्न विवरणी अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि–2) दिनांक–17.04.1998, 396 दिनांक–24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

4. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या–17 दिनांक–11.07.2015 के आलोक में आवंटित है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश सख्या–17 दिनांक–11.07.2015 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।

6 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

सं०/१

9 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11 मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

14. इस विपत्र कोड के उक्त विषय शीर्ष में बी0सी0एफ0 द्वारा 15,69,11,000/–(पन्द्रह करोड़ उनहत्तर लाख ग्यारह हजार रू0) मात्र का अतिरिक्त उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 164 पटना, दिनांकः– 3/8/15

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा –05 एवं 09/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/8/15

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

संजीव

बालिका पोशाक योजना वर्ग XI, XII

P-2202031070104

क्रमांक	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	रोहतास	9083000	1562500	10645500
2	औरंगाबाद	6276000	7200000	13476000
3	सिवान	24673000	3897000	28570000
4	गोपालगंज	28363000	3114000	31477000
5	समस्तीपुर	15967000	5846500	21813500
6	मधेपुरा	8195000	1211000	9406000
7	बांका	7339000	272000	7611000
8	मुंगेर	5142000	342000	5484000
		105038000	**23445000**	**128483000**

तत्काल आवंटित राशि रूपये (दो करोड़ चौतीस लाख पैतालीस हजार) मात्र।

5/8/15

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।